IIA Members,

Dear ALL

With reference to the power tariff hike for industries in UP announced by UPERC, IIA HO took below mentioned steps against this hike and submitted demand letters to CM UP for rolling back the power tariff hike:-

S.No.	Date	Reason	Effect on MSMEs	Action Taken
1	October 19-20, 2012	Hike in Power tariff announced by UPERC for commercial and industrial consumers w.e.f 1/10/12	• Many Associations were shocked • As a result, Associations may go on strike	• Hold a meeting of representatives of various Industry Associations to discuss the way forward. • Issued a press release on 20/10/12
2	October 21, 2012	Hike in Power tariff announced by UPERC	• MSME produced are going to dearer as the cost of production is going to increase hence leaving MSMEs uncompetitive.	• Press conference was organized at IIA HO wherein 17 different associations participated along with media • Issued a press release on the very same day • Vidyut Upbhokta Sanyukt Sangharsh Samiti (VU3S) consisting of all leading industry and trade associations was constituted to fight for the cause of MSMEs in UP.
3	October 23-25, 2012	Hike in Power tariff announced by UPERC	• MSME produced are going to dearer as the cost of production is going to increase hence leaving MSMEs uncompetitive.	• VU3S submitted a letter to Hon'ble Chief Minster, UP requesting for a meeting on 26/10/12 • Issued a press release on 25/10/12 regarding the state wide agitation on 26/10/12 against the unprecedented power tariff hike.
4	October 26, 2012	Hike in Power tariff announced by UPERC	• This hike created a serious concern among all the Industry Associations resulted in a statewide agitation	• All the leading Industry, trade Associations and industries protested in Lucknow and all other districts of UP. • Memorandum in the name of CM, UP was handed over to Additoinal City Megistrate on 26/10/12 by

				VU3S(Copy Attached) • Many Other districts (Rampur, Meerut, Saharanpur, Muzaffarnagar, Hathras, Kanpur) also gave the letter addressing to CM, UP b/w 24/10/12 – 26/10/12
5	October 29, 2012	Hike in Power tariff announced by UPERC	MSME produced are going to dearer as the cost of production is going to increase hence leaving MSMEs uncompetitive.	• Submitted a request letter to IDC, UP for providing time for a meeting with IIA and VU3S to discuss the problem for a possible solution
6	November 2, 2012	Hike in Power tariff announced by UPERC	MSME produced are going to dearer as the cost of production is going to increase hence leaving MSMEs uncompetitive.	• Representatives of VU3S met Minister SSI and submitted a demand letter and requested him for getting the power tariff hike rolled back. **(Copy attached)**
7	November 3, 2012	Hike in Power tariff announced by UPERC	MSME produced are going to dearer as the cost of production is going to increase hence leaving MSMEs uncompetitive.	• Representatives of VU3S assembled at IIA HO and discussed the further course of action. **The meeting minutes are attached**
8	November 5, 2012	Hike in Power tariff announced by UPERC	MSME produced are going to dearer as the cost of production is going to increase hence leaving MSMEs uncompetitive.	• Representatives of VU3S met IDC UP and apprised him about the seriousness of the problem.

Submitted for the information of IIA members.

Thanks

Manish Goel,
General Secretary

संदर्भ सं0: वि0उ0सं0स0/2 26 अक्टूबर 2012

आदरणीय श्री अखिलेश यादव
माननीय मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश

विषय : उत्तर प्रदेश में उद्योगों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए अप्रत्याशित रूप से बढ़ाई गई विद्युत दरों को युक्तिसंगत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप द्वारा प्रदेश की बागडोर सम्भालने के भी पहले से प्रदेश के उद्यमियों को आप पर पूरा भरोसा है क्योकि विधानसभा चुनाव के दौरान एक साक्षात्कार में आपने कहा था कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो विकास की ऐसी धारा बहेगी जिससे देश के अन्य राज्य उत्तर प्रदेश का अनुसरण करेगे। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण एवं विकास को गति देने के लिए आपने अपने मेनिफेस्टो में भी कुछ प्राथमिकताए रखी थी।

देश के सबसे बड़े राज्य को सौभाग्य से आपके रूप में एक नौजवान और कर्मठ मुख्यमंत्री मिले और आपने गद्दी सम्भालने के बाद से आज तक प्रदेश में उद्योगों की प्रगति के लिए अनेक प्रयास भी किये है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के कुछ वरिष्ठ अधिकारीयों एवं संस्थानों को आपके और जनता के सपनो को साकार करने में कोई दिलचस्पी नही है।

इसका एक बड़ा उदाहरण प्रदेश के उद्यमियों पर 19 अक्टूबर 2012 को लादी गई भारी विद्युत दरों की वृद्धि है। इस अप्रत्याशित वृद्धि से न केवल प्रदेश में स्थित उद्यम प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जायेगे अपितु नये, निवेश के आने की सम्भावनाए भी क्षीण हो जाऐगी। इसके साथ–साथ बेरोजगारी बढ़ेगी, सरकार का टैक्स राजस्व घटेगा, आम उपभोक्ता वस्तुए महॅगी हो जाएगी और अन्ततोगत्वा आम जनता को मंहगाई की और अधिक मार झेलनी पड़ेगी।

महोदय, हमें मालूम है कि बिजली कम्पनियों की माली हालत ठीक नही है परन्तु इस खराब होलत के कारणों और उनके समाधान करने के बजाय सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका अपनाया गया और वह है केवल उद्योगों और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरे बेतहाशा बढ़ाया जाना। इस कड़ी में सबसे पहले विद्युत डयूटी को 9 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर विद्युत मूल्य का 7.5 प्रतिशत कर दिया गया जो कि लगभग 500 प्रतिशत की वृद्वि है। इसके उपरान्त 19 अक्टूबर 2012 को डिमांड चार्जेज में 96 प्रतिशत तक तथा एनर्जी चार्जेज में 45 प्रतिशत तक की वृद्वि घोषित कर दी गई है। इससे छोटे उद्यमों के बिलो पर औसतन लगभग 38.5 प्रतिशत तथा बड़े उद्योगो पर औसतन लगभग 30 प्रतिशत अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आपकी सुविधा के लिए तुलनात्मक चार्ट **संलग्नक (क)** पर प्रेषित है।

उल्लेखनीय है कि विद्युत कम्पनियॉ अपने कामकाज एवं खामियों को दूर करने का वर्षो से कोई प्रयास नहीं कर रही है, यदि सरकार एवं नियामक आयोग द्वारा इन्हे सुधारने के निर्देश दिये भी होते तो उनकी लगातार अनदेखी की गई है। इस सम्बन्ध में कुछ अत्यन्त आपत्तिजनक तथ्य निम्नलिखित हैः–

- बिजली कम्पनियॉ भारी भरकम अधिकारियो के रहते अपनी वार्षिक आडिटेड बैलेन्स सीट तैयार नही कर रही है जो कि अपने में एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः मनगढ़त ऑकड़ो के आधार पर बिजली दरें बढ़ाना विद्युत अधिनियम 2003 व विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ नीति पर बनाई गई विनियमावली के पूरी तरह विपरीत है।
- वर्तमान में प्रदेश में बिजली कम्पनियो का कुल घाटा लगभग 24000 करोड़ रूपये है और प्रदेश के विभिन्न श्रेणी में विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली कम्पनियों का कुल बकाया लगभग 26000 करोड़ रूपया है जिसे बसूलने में न तो बिजली कम्पनियॉ और न ही सरकार तत्परता दिखा रही है। यदि यह बकाया राशि ही बसूल ली जाए तो बिजली दरों में वृद्वि की नौबत ही न आए।
- विद्युत कम्पनियो की लाइन हानियॉ प्रतिवर्ष कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। यह बिडम्बना ही है कि विद्युत नियामक आयोग ने अपने विगत विद्युत टैरिफ (2009–10) में लाइन हानियो को 21 प्रतिशत तक कम करने के निर्देश दिये थे परन्तु बिजली कम्पनियों ने जो प्रस्ताव इस बार नियामक आयोग को प्रस्तुत किए है उनमें 28 प्रतिशत तक लाइन हॉनियों की अनुमति मॉगी है।
  यह भी एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है जिसके अनके कारण है जिसमें बिजली चोरी, बिना मीटर के बिजली सप्लाई, खराब रख–रखाव, खराब माल का उपयोग तथा कर्मचारियों की लापरवाही इत्यादि शामिल है।
  यह उल्लेखनीय है कि औद्योगिक फीडरों पर लाइन हानियॉ सबसे कम है फिर भी उद्योगों की बिजली दरे सबसे अधिक बढ़ाई जा रही है।
- वर्ष 2009–10 के विद्युत नियामक आयोग के आदेश में विद्युत कम्पनियों को यह भी निर्देशित किया गया था कि ग्रामीण, घरेलू एवं विभागीय कर्मचारियों को 100 प्रतिशत मीटर्ड विद्युत सप्लाई दी जाए, परन्तु ऐसा नही किया जा रहा है। आज भी प्रदेश में 52. 87 लाख उपभोक्ताओं को अनमीटर्ड विद्युत सप्लाई दी जा रही है। यह अपने में एक प्रमाण है कि विद्युत कम्पनियॉ बिजली की सही आडिटिंग नही चाहती है और बिजली चोरी को बढ़ावा दे रही है। जनता कटिया यहॉ तक कि कुछ सरकारी संस्थाओं एवं रसूखदार व्यक्तियों द्वारा बिजली चोरी प्रदेश में कही भी देखी जा सकती है। इस प्रकार की चोरी बिजली कम्पनियों को बिल्कुल दिखाई नही दे रही है।
- पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक मात्र राज्य है जहॉ पर छोटे उद्योगो पर विद्युत खपत मूल्य के अतिरिक्त फिक्सड चार्जेज के साथ–साथ मिनिमम् चार्जेज भी लागू है। यदि बिजली कम्पनियॉ भरपूर विद्युत सप्लाई करें तो मिनिमम् चार्जेज से उद्योगो को परेशानी नही है परन्तु बिजली कम्पनियों द्वारा ऐसा नही किया जाता है। इस प्रकार जब उद्योगों को बिजली की न्यूनतम सप्लाई भी नही मिलती है तो मिनिम्म चार्जेज के कारण उद्योगों को बिना बिजली की खपत किए बिजली कम्पनियों को भुगतान करना पड़ता है।
- महोदय, किसी भी औद्योगिक उत्पाद की लागत मूल्य में बिजली का हिस्सा लगभग 15 प्रतिशत होता है। यदि घोषित विद्युत मूल्य वृद्वि लागू की जाती है तो प्रदेश के उद्योगो

द्वारा उत्पादित माल की कीमते 5–9 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। इससे प्रदेश के उद्योग कड़ी राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगे और बन्दी की ओर अग्रसर होगे। एक ओर पूरी बिजली उद्योगों को नही मिल रही है और दूसरी ओर विद्युत दरों में बेतहासा वृद्वि, प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए असहनीय क्षति है।

- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64 की उपधारा 4 के अनुसार पीछे से टैरिफ लागू करना गलत है। प्रदेश 19 अक्टूबर 2012 को घोषित विद्युत टैरिफ को 1 अक्टूबर 2012 से लागू कर दिया गया है।

<u>उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर हमारी आपसे निम्नलिखित मॉगे हैः–</u>

1. औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विद्युत दरों में की गई भारी वृद्वि को वापिस लिया जाए और विद्युत कम्पनियों का घाटा उनके द्वारा विद्युत बकायों की रिकवरी एवं लाइन हानियों को कम कर पूरा किया जाए। यदि अति आवश्यक हो तो प्रदेश हित में उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्यिक संस्थान विगत बिजली दरों पर इलैक्ट्रीसिटी डयूटी सहित अधिकतम 15 प्रतिशत तक की वृद्वि सहन करने के लिए तैयार है उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 8.3(2) में भी प्रविधानित है कि औसत लागत की दर से अधिकतम 20 प्रतिशत के उपर बिजली दर का निर्धारण नही किया जायेगा।

2. सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को तब तक मिनिम्म एवं फिक्सड चार्जेज से मुक्त रखा जाए जब तक उन्हे मिनिम्म विद्युत सप्लाई सुनिश्चित नही कराई जाती है।

3. नया विद्युत टैरिफ घोषणा के बाद की तिथि से पहले से लागू न किया जाए ।

धन्यवाद

जी0सी0 चतुर्वेदी अध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता संयुक्त संघर्ष समिति	एस0वी0 अग्रवाल महासचिव एसोचैम,यूपी	एल0के0 झुनझुनवाला को–चेयरमैन पी0एच0डी0सी0सी0आई0	अवधेश कुमार वर्मा उपाध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता संयुक्त संघर्ष समिति

मनीष गोयल महासचिव इंण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन	रवीन्द्र सिंह अध्यक्ष लघु उद्योग भारती	चेतन भल्ला कार्यकारी सदस्य आईसक्रीम मैनयू0 एसोसिएशन	प्रशांन्त भाटिया संयोजक विद्युत उपभोक्ता संयुक्त संघर्ष समिति

Vidyut Upbhokta Sanyukt Sangharsh Samiti

(An Apex Body of U.P. Industry, Trade & other Electrical Consumers)

उत्तर प्रदेश में उद्योगों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए
अप्रत्याशित विद्युत दरों की वृद्धि के विरूद्ध माँग पत्र

निवेदक :-

- इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन
- एसोचैम यू0 पी0
- पी0एच0डी0 सी0सी0 आई0
- लघु उद्योग भारती
- उ0 प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद
- उ0प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल
- इण्डियन आइस्क्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
- यू0 पी0 चैम्बर ऑफ स्टील इण्डस्ट्रीज
- वैस्टर्न यू0पी0 चैम्बर आफ कामर्स
- यू0 पी0 हौजरी एसोसिएशन
- यू0 पी0 बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
- यू0 पी0 कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन
- यू0 पी0 ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
- यू0 पी0 फ्लोर मिल्स एसोसिएशन
- यू0 पी0 राइस मिलर्स एसोसिएशन
- यू0 पी0 प्लास्टिक एसोसिएशन
- यू0 पी0 फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन
- यू0 पी0 होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसिएशन
- यू0 पी0 सोप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
- यू0 पी0 लेदर एसोसिएशन
- यू0 पी0 ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
- एसोसिएशन आफ स्टील रोलिंग मिल्स एण्ड फर्नेसेज़
- एनर्जी एसोसिएटस्
- गाजियाबाद इन्डस्ट्रियल फेडरेशान एसोसिएशन
- इन्डस्ट्रियल एरिया मैनुफैक्चरर एसोसिएशन गाजियाबाद
- नोएडा इन्टरप्रिन्योर एसोसिएशन

सेवामें,

आदरणीय श्री अखिलेश यादव
माननीय मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश

महोदय,

देश के सबसे बड़े राज्य को सौभाग्य से आपके रूप में एक नौजवान और कर्मठ मुख्यमंत्री मिले और आपने गद्दी सम्भालने के बाद से आज तक प्रदेश में उद्योगों की प्रगति के लिए अनेक घोषणायें भी की हैं। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के कुछ वरिष्ठ अधिकारीयों एवं संस्थानों को आपके और जनता के सपनो को साकार करने में कोई दिलचस्पी नही है।

इसका एक बड़ा उदाहरण प्रदेश के उद्यमियों पर पहले तो सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी डयूटी में भारी वृद्धि करना तथा तदोपरान्त 19 अक्टूबर 2012 को विद्युत नियामक आयोग द्वारा लादी गई भारी विद्युत दरों की वृद्धि है। इस अप्रत्याशित वृद्धि से न केवल प्रदेश में स्थित उद्यम प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जायेगे अपितु नये, निवेश के आने की सम्भावनाए भी क्षीण हो जाऐगी। इसके साथ–साथ बेरोजगारी बढ़ेगी, सरकार का टैक्स राजस्व घटेगा, आम उपभोक्ता वस्तुए महॅगी हो जाएगी और अन्ततोगत्वा आम जनता को मंहगाई की और अधिक मार झेलनी पड़ेगी।

महोदय, हमें मालूम है कि बिजली कम्पनियों की माली हालत ठीक नही है परन्तु इस खराब हालत के कारणों और उनके समाधान करने के बजाय सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका अपनाया गया और वह है केवल उद्योगों और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरे बेतहाशा बढ़ाया जाना। यह इसी बात को चरितार्थ करता है कि '' आपको लकड़ी की आवश्यकता है और आप उसी शाखा को काट रहें है जिस पर स्वयँ बैठे हैं''। इस कड़ी में सबसे पहले विद्युत डयूटी को 9 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर विद्युत मूल्य का 7.5 प्रतिशत कर दिया गया जो कि लगभग 500 प्रतिशत की वृद्वि है। इसके उपरान्त 19 अक्टूबर 2012 को डिमांड चार्जेज में 96 प्रतिशत तक तथा एनर्जी चार्जेज में 45 प्रतिशत तक की वृद्वि घोशित कर दी गई है। इससे छोटे उद्यमों के बिलो पर औसतन लगभग 38.5 प्रतिशत तथा बड़े उद्योगो पर औसतन लगभग 39 प्रतिशत अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि विद्युत कम्पनियॉ अपने कामकाज एवं खामियों को दूर करने का वर्षो से कोई प्रयास नहीं कर रही है, यदि सरकार एवं नियामक आयोग द्वारा इन्हे सुधारने के निर्देश दिये भी होते तो उनकी लगातार अनदेखी की गई है। इस सम्बन्ध में कुछ अत्यन्त आपत्तिजनक तथ्य निम्नलिखित है:–

Office : IIA Bhawan, Vibhuti Khand, Phase-II, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Tel.: +91-522-2720090, 3248178, Fax: +91-522-2720097, e-mail: iia@iiaonline.in

- ☑ बिजली कम्पनियॉ भारी भरकम अधिकारियो के रहते अपनी वार्षिक आडिटेड बैलेन्स सीट तैयार नही कर रही है जो कि अपने में एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः मनगढ़त ऑकड़ो के आधार पर बिजली दरें बढ़ाना विद्युत अधिनियम 2003 व विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ नीति पर बनाई गई विनियमावली के पूरी तरह विपरीत है।
- ☑ वर्तमान में प्रदेश में बिजली कम्पनियो का कुल घाटा लगभग 24000 करोड़ रूपये है और प्रदेश के विभिन्न श्रेणी में विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली कम्पनियों का कुल बकाया लगभग 26000 करोड़ रूपया है जिसे बसूलने में न तो बिजली कम्पनियॉ और न ही सरकार तत्परता दिखा रही है। यदि यह बकाया राशि ही बसूल ली जाए तो बिजली दरों में वृद्वि की नौबत ही न आए।
- ☑ विद्युत कम्पनियो की लाइन हानियॉ प्रतिवर्ष कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। यह भी एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है जिसके अनके कारण है जिसमें बिजली चोरी, बिना मीटर के बिजली सप्लाई, खराब रख–रखाव, खराब माल का उपयोग तथा कर्मचारियों की लापरवाही इत्यादि शामिल है। यह उल्लेखनीय है कि औद्योगिक फीडरों पर लाइन हानियॉ सबसे कम है फिर भी उद्योगों की बिजली दरे सबसे अधिक बढ़ाई जा रही है।
- ☑ वर्ष 2009–10 के विद्युत नियामक आयोग के आदेश में विद्युत कम्पनियों को यह भी निर्देशित किया गया था कि ग्रामीण, घरेलू एवं विभागीय कर्मचारियों को 100 प्रतिशत मीटर्ड विद्युत सप्लाई दी जाए, परन्तु ऐसा नही किया जा रहा है। आज भी प्रदेश में 52.87 लाख उपभोक्ताओं को अनमीटर्ड विद्युत सप्लाई दी जा रही है। यह अपने में एक प्रमाण है कि विद्युत कम्पनियॉ बिजली की सही आडिटिंग नही चाहती है और बिजली चोरी को बढ़ावा दे रही है। जनता कटिया यहॉ तक कि कुछ सरकारी संस्थाओं एवं रसूखदार व्यक्तियों द्वारा बिजली चोरी प्रदेश में कही भी देखी जा सकती है। इस प्रकार की चोरी बिजली कम्पनियों को बिल्कुल दिखाई नही दे रही है।
- ☑ पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक मात्र राज्य है जहॉ पर छोटे उद्योगो पर विद्युत खपत मूल्य के अतिरिक्त फिक्सड चार्जेज के साथ–साथ मिनिमम् चार्जेज भी लागू है। जब उद्योगों को बिजली की न्यूनतम सप्लाई भी नही मिलती है तो मिनिम्म चार्जेज के कारण उद्योगों को बिना बिजली की खपत किए बिजली कम्पनियों को भुगतान करना पड़ता है। युनिट रेट के अतिरिक्त फिक्सड चार्जेज और मिनिमम चार्जेज दोनों को लगाना विद्युत अधिनियम 2003 के प्राविधानों के भी विरूद्ध है क्योंकि अधिनियम में केवल ''Two Part'' टैरिफ का प्राविधान है।
- ☑ महोदय, किसी भी औद्योगिक उत्पाद की लागत मूल्य में बिजली का हिस्सा लगभग 15 प्रतिशत होता है। यदि घोषित विद्युत मूल्य वृद्वि लागू की जाती है तो प्रदेश के उद्योगो द्वारा उत्पादित माल की कीमते 5–9 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। इससे प्रदेश के उद्योग कड़ी राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगे और बन्दी की ओर अग्रसर होगे। एक ओर पूरी बिजली उद्योगों को नही मिल रही है और दूसरी ओर विद्युत दरों में बेतहासा वृद्वि, प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए असहनीय क्षति है।
- ☑ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64 की उपधारा 4 के अनुसार पीछे से टैरिफ लागू करना गलत है। प्रदेश 19 अक्टूबर 2012 को घोषित विद्युत टैरिफ को 1 अक्टूबर 2012 से लागू कर दिया गया है।
- ☑ आज दिल्ली को छोड़कर उ0 प्र0 में विद्युत दरें सभी राज्यों से अधिक हैं क्या ऐसे में प्रदेश के उद्योग प्रतिस्पर्धा में खड़े रह पायेगें।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर हमारी आपसे निम्नलिखित मॉगे है:-

- ➢ औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विद्युत दरों में की गई भारी वृद्वि को वापिस लिया जाए और विद्युत कम्पनियों का घाटा उनके द्वारा विद्युत बकायों की रिकवरी एवं लाइन हानियों को कम कर पूरा किया जाए। यदि अति आवश्यक हो तो प्रदेश हित में उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्यिक संस्थान विगत बिजली दरों पर इलैक्ट्रीसिटी डयूटी सहित अधिकतम 15 प्रतिशत तक की वृद्वि सहन करने के लिए तैयार है उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 8.3(2) में भी प्रविधानित है कि औसत लागत की दर से अधिकतम 20 प्रतिशत के उपर बिजली दर का निर्धारण नही किया जायेगा।
- ➢ विद्युत टैरिफ मे लगाए गये मिनिमम चार्जेज को समाप्त किया जाए।
- ➢ सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को तब तक फिक्सड चार्जेज से मुक्त रखा जाए जब तक उन्हे मिनिम्म विद्युत सप्लाई सुनिश्चित नही कराई जाती है।
- ➢ नया विद्युत टैरिफ उपरोक्त मॉगो की पूर्ती के उपराँत ही लागू किया जाए।

महोदय यदि उपरोक्त व्यवहारिक मॉगें अविलम्ब पूर्ण नहीं की जाती हैं तो प्रदेश के उद्योग इस अप्रत्याशित विद्युत मूल्य वृद्धि के हिसाब से अपने बिल अदा करने में असमर्थ होगें जिसका परिणाम उद्योगों के साथ साथ बिजली कम्पनियों को भी भुगतना पड़ेगा।
आशा करते हैं कि आप हमारी उपरोक्त मॉगों पर शीघ्र निर्णय देने की कृपा करेंगें।

धन्यवाद

दिनाँक– 1 नवम्बर 2012

जी०सी० चतुर्वेदी
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता संयुक्त संघर्ष समिति

प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश में उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ किये जा रहे सौतेले व्यवहार के विरूद्ध जनहित एवं उद्योग हित में अपने प्रभाव का उपयोग करने की कृपा करें:-

① उत्तर प्रदेश से समस्त माननीय लोक सभा सदस्य
② उत्तर प्रदेश से समस्त माननीय राज्य सभा सदस्य
③ उत्तर प्रदेश के समस्त माननीय विधान सभा सदस्य
④ उत्तर प्रदेश के समस्त माननीय विधान परिषद सदस्य

विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी के विरूद्ध आगे की कार्यवाही के लिए दिनांक 3.11.12 को आई.आई.ए. भवन में आयोजित बैठक का कार्यवृत

उपस्थिति–

श्री जी0 सी0 चतुर्वेदी–अध्यक्ष विद्युत उपभोक्ता संयुक्त संघर्ष समिति

श्री प्रशान्त भाटिया–संयोजक विद्युत उपभोक्ता संयुक्त संघर्ष समिति

श्री एल0 के0 झुन झुनवाला–को–चेयरमैन पी0एच0डी0सी0सी0आई0

श्री एस0 बी0 अग्रवाल–महासचिव एसोचैम यू0पी0

श्री मनीष गोयल–महासचिव आई.आई.ए.

श्री एस0 एस0 अवस्थी–यू0 पी0 चैम्बर ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज

श्री मुकेश टण्डन–यू0 पी0 ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन लखनऊ

श्री चेतन भल्ला–इण्डियन आइस्क्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन

श्री आर के0 सिंह–यू0 पी0 रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन

श्री राकेश गोयल–अखिल भारतीय मतदाता संघ

श्री सुबोध सिंह–यू0पी0 होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसिएशन

श्री रविन्द्र सिंह–महासचिव लघु उद्योग भारती

1. संघर्ष समिति द्वारा मा0 मुख्यमंत्री को सम्बोधित मॉग पत्र सभी एसोसिएशन के प्रतिनिधि अपने अपने स्तर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों (लोक सभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य, MLAs एवं MLCs के माध्यम से उनकी संस्तुति सहित मा0 मुख्यमन्त्री उ0 प्र0 को शीघ्रताशिघ्र भिजवाएगें। इसके अतिरिक्त यह मॉग पत्र संघर्ष समिति के केन्द्रिय कार्यालय से सीधे भी मा0 मुख्यमंत्री एवं सभी जनप्रतिनिधियों को भेजा जाएगा।
2. सभी LMV-2, LMV-6 एवं HV-2 श्रेणी के उपभोक्ता बढ़े हुए Tariff के बिल DISCOMS को न अदा कर अपनी–अपनी एसोसिएशन को चेक सहित जमा करें।

सम्बंधित एसोसिएशन DISCOMs के प्रबन्ध निदेशकों को यह सूचित करें कि उनके सदस्य बढ़े हुए Tariff के अनुसार विद्युत बिलों का भुगतान नहीं करेंगें तथा यह भी सूचित करें कि जब तक संघर्ष समिति की इस सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार एवं मा0 मुख्यमंत्री से बातचीत चल रही है तब तक DISCOMs उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन न काटें ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या से बचा जा सके

3. विद्युत Tariff में बढ़ोत्तरी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की सम्भावनाओं को तलाशने एवं विशेषज्ञों का पैनल बनाने हेतु एक अलग समिति श्री एस0 वी0 अग्रवाल महासचिव एसोचैम यू0पी0 की अध्यक्षता में कार्य करेगी।

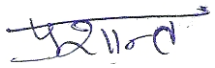

प्रशान्त भाटिया
संयोजक
विद्युत उपभोक्ता संयुक्त संघर्ष समिति